न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 206/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/266

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.किशनसिंह पुत्र पीथारामजी 2.जोईतसिंह पुत्र पीथारामजी 3.मोरोदेवी पत्नि पीथारामजी 4. शैतानसिंह पुत्र पीथारामजी 5.सवाईसिंह पुत्र पीथारामजी जाति पुरोहित निवासी मांझीवाला तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.प्यारीदेवी पत्नि मांगीलाल जाति पुरोहित निवासी बेरा खाड़ी,माजीवाला तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 25/06/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा मांझीवाला पटवार हल्का मांझीवाला तहसील पचपदरा में भूमि खसरा संख्या 1092/855 रकबा 4.7915 हैक्टेयर अवस्थित रही है,वर्तमान खसरा संख्या 1350/1092 रकबा 4.1440 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज है, मूल खसरा संख्या 1092/855 रकबा 4.7915 हैक्टेयर में से जरिए पंजीकृत दस्तावेज 04.00 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 को बेचान की,क्योंकि उक्त मूल खसरा संख्या में आवागमन का रास्ता नहीं था, उसके बदले 04.00 बीघा भूमि दी गयी तथा 09 विस्वा भूमि रास्ते हेतु प्राप्त की, एक ही दिन दो दस्तावेज पंजीकृत हुए। खसरा संख्या 1321/867 की भूमि मौके पर विप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्रान द्वारा मकानात बनाने के कारण प्रार्थीगण जहां वर्षों से आवागमन कर रहे थे वो खसरा संख्या मूल 867 का भाग नहीं होकर खसरा संख्या 855 का भाग था, किन्तु खसरा संख्या 855 में जो आवागमन का रास्ता था,वो रास्ता भी विप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्रान द्वारा मौके पर

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अवरोधित कर दिया। इसलिए न्यायालय श्री में धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पेश किया गया,जिसकी मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी, तावाद विप्रार्थीनी के पुत्रान द्वारा खसरा संख्या 1321/867 की तरमीम अशुद्ध होना बताकर एक प्रकरण संख्या 101/2025 पेश किया, जिसमें प्रार्थीगण ने जबाव प्रस्तुत किया है। मौके पर खसरा संख्या 1351/1092 की तरमीम प्रकरण संख्या 78/2025 न्यायालय में प्रस्तुत किया उसके बाद जरिए शुद्धीपत्र की गई जिसमें प्रार्थीगण को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया,जबकि ऐसा करना न्यायहित में आवश्यक था। ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 1092/855 में से बनाये गये नवीन खसरा संख्या 1351/892 की तरमीम आवेदन के संलग्न नक्शा 'क' में दर्शाये अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया गया।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुआ। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से आईन्दा वकालतनामा पेश किए जाने की अडरटेकिग ली गई,उक्त अधिवक्ता को दो अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी वकालतनामा मय जवाब पेश नही कर प्रार्थना पत्र पेश कर 30 दिन का समय ओर चाहा गया,जो कि बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 01 की सम्यक तामीली के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित रहे।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा मांझीवाला पटवार हल्का मांझीवाला तहसील पचपदरा में भूमि खसरा संख्या 1092/855 रकबा 4.7915 हैक्टेयर अवस्थित रही है, वर्तमान खसरा संख्या 1350/1092 रकबा 4.1440 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज है, मूल खसरा संख्या 1092/855 रकबा 4.7915 हैक्टेयर में से जरिए पंजीकृत दस्तावेज 04.00 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 को बेचान की, क्योंकि उक्त मूल खसरा संख्या में आवागमन का रास्ता नहीं था,उसके बदले 04.00 बीघा भूमि दी गयी तथा 09 विस्वा भूमि रास्ते हेतु प्राप्त की, एक ही दिन दो दस्तावेज पंजीकृत हुए। खसरा संख्या 1321/867 की भूमि मौके पर विप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्रान द्वारा मकानात बनाने के कारण प्रार्थीगण जहां वर्षों से आवागमन कर रहे थे वो खसरा संख्या मूल 867 का भाग नहीं होकर खसरा संख्या 855 का भाग था, किन्तु खसरा संख्या 855 में जो आवागमन का रास्ता था वो रास्ता भी विप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्रान द्वारा मौके पर अवरोधित कर दिया इसलिये न्यायालय में धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पेश किया गया,जिसकी मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी,ताबाद विप्रार्थीनी के पुत्रान द्वारा खसरा संख्या 1321/867 की तरमीम अशुद्ध होना बताकर एक प्रकरण संख्या 101/2025 पेश किया, जिसमें प्रार्थीगण ने जबाव प्रस्तुत किया है। मौके पर खसरा संख्या 1351/1092 की तरमीम प्रकरण संख्या 78/2025 न्यायालय में प्रस्तुत किया उसके बाद जरिये शुद्धीपत्र की गई, जिसमें प्रार्थीगण को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया, जबकि ऐसा करना न्यायहित में आवश्यक था। मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 1351/1092 की तरमीम आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'क' अनुसार होनी चाहिए ताकि हम प्रार्थीगण को अपनी भूमि वर्तमान खसरा संख्या 1350/1092 के उपयोग उपभोग हेतु चाहे गये रास्ते में कोई कानूनी पेचिदगी उत्पन्न नहीं हो। यहां यह निवेदन करना उचित है कि खसरा संख्या 1092/855 की तरमीम खसरा संख्या 1089/855 के जुड़ती खसरा संख्या 1086/855 तक इसलिये रखी गयी ताकि जो वर्तमान में आवागमन का कदीमी रास्ता है उसे आगे खसरा संख्या 1093/855 या 1089/855 में से रास्ता घोषित होने की स्थिति में उक्त खसरा संख्या 1092/855 का भाग मिल सके, चूंकि वर्तमान में स्थिति इसके विपरित हो गयी है, ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 1092/855 में से बनाये गये नवीन खसरा संख्या 1351/892 की तरमीम आवेदन के संलग्न नक्शा 'क' में दर्शाये अनुसार दुरूस्त की जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं पंजीकृत बेचाननामों की प्रतियो व मौका रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट के संलग्न नामान्तकरण प्रति,शुद्धीपत्र, जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रतियो का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया, जिसमें पाया कि मौजा मांझीवाला में मूल खसरा संख्या 855 के तरमीमी खसरा संख्या 1092/855 में से पूर्व खातेदार द्वारा 04.00 बीघा भूमि जरिए रजिस्ट्री दिनांक 05.05.2016 को वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थीनी को बेचान की,जिसका विवरण पंजीकृत दस्तावेज व उसके संलग्न नक्शा में दर्शाया हुआ है। उक्त पंजीकृत दस्तावेज में वर्णित पड़ौस व संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व कर्मचारियों के द्वारा नक्शा में तरमीमी खसरा संख्या बनाया जाना था, किन्तु नामान्तकरण पारित होने के बाद जमाबंदी में उसकी प्रविष्टियां दर्ज नहीं हुई ताबाद सेंग्रेगशन के वक्त उक्त खसरा संख्या व 04.00 बीघा भूमि अंकित होना शेष रह गई। जिससे जरिए शुद्धीपत्र प्रथम बार रेकर्ड में दिनांक 05.05.2025 को अमल दरामद किया गया, उससे पूर्व उक्त खसरे की तरमीम खसरा संख्या 1092/855 की परिधि में नहीं रही। पत्रावली के अवलोकन एवं दस्तावेजात का अध्ययन करने के पश्चात उक्त तथ्य सुस्पष्ट है कि वर्तमान नक्शा में जो तरमीम दर्ज है,वो अशुद्ध या अवैध या मिलावटी रूप से की गई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है,बल्कि पूर्व खातेदार द्वारा निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 05.05.2016 में जो पड़ौस का विवरण अंकित किया के अनुसार ही की गई है। विधि के अनुसार संस्वीकृती के विपरित अन्य कोई कथन करने से ऐसी संस्वीकृती करने वाला पक्षकार या उनका हितबद्ध विबंधित है,फिर भी पक्षकारान के मध्य विवाद नहीं बढ़े तथा तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट में उल्लेखित है कि खसरा संख्या 1092/855 रकबा 4.7915 हैक्टेयर में से जरिए रजिस्ट्री किशनसिंह वगैरा द्वारा 04.00 बीघा भूमि बेचान की गई, जिसकी तरमीम अलग की गई,जिसका नामान्तकरण संख्या 1131 भरा गया,नामान्तकरण सेंग्रीगेशन प्रक्रिया के दौराने इन्द्राज होने से रह गया,जो जरिए शुद्धीपत्र संख्या 44 पुनः इन्द्राज किया गया। मौके पर 04.00 बीघा भूमि खाली पड़ी है,परिशिष्ट 'अ' अनुसार किशनसिंह वगैरा द्वारा प्यारीदेवी को बेचानसुदा 04.00 बीघा भूमि की तरमीम दुरूस्ती करने की अनुशंषा की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद भविष्य में नहीं रहे,विवाद का हमेशा–हमेशा निस्तारण हो,इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार योग्य है।

:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है कि मौजा मांझीवाला तहसील पचपदरा के वर्तमान नक्शा में खसरा संख्या 1351/1092 की तरमीम तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित बरंग लाल अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा, इसी अनुसार तहसीलदार पचपदरा आदेश की पालना राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीमी खसरा संख्या 1351/1092 रकबा 0.6475 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1350/1092 रकबा 4.1440 हैक्टेयर की प्रविष्टियां अंकित करे। वर्तमान जमाबंदीयों में उक्त खसरों का रकबा यथावत रहेंगा।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25/06/2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
25/06/2025